परिपत्र संख्या 12/2017

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांकः एफ.7(71)जन/2015/ 8622 दिनांक : 28/8/17

—: परिपत्र :—

विषय : दस्तावेज पंजीयन के समय दस्तावेज निष्पादककर्त्ता/प्रस्तुतकर्त्ता की पहचान सुनिश्चित करने बाबत।

एस.बी. सिविल क्रिमिनल मिसलेनियस बेल प्रार्थना पत्र संख्या 922/07 शफी मोहम्मद एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा दिनांक 07.02.07 को पारित आदेश के क्रम में सम्पत्ति के बेचान/हस्तान्तरण के दस्तावेज पंजीयन के समय दस्तावेज निष्पादकों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु विभाग के परिपत्र संख्या 03/2015 के बिन्दु संख्या–8 में 16 प्रकार के दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.7(106)जन/2015/पार्ट–II/8006 दिनांक 29.06.2016 के द्वारा उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या–8 में आंशिक संशोधन कर क्रम संख्या–17 पर "भामाशाह कार्ड" सम्मिलित किया जाकर, दस्तावेज पंजीयन के समय क्रेता–विक्रेता/प्रस्तुतकर्ता की पहचान हेतु भामाशाह कार्ड को भी शामिल किया गया।

मुख्य सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 24.05.17 के द्वारा विभागीय योजनाओं की सेवाओं को भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदायगी के लिये आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है। उक्त विभागीय सेवाओं में आधार सत्यापन तंत्र के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करवाने हेतु चिन्हित सेवाओं में भूमि/भवन/दुकान/चल–अचल सम्पत्ति इत्यादि के पंजीयन को भी शामिल किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि पंजीयन अधिकारी के द्वारा दस्तावेज पंजीयन के समय क्रेता–विक्रेता तथा प्रस्तुतकर्त्ता से आधार कार्ड की प्रति भी अनिवार्य रूप से ली जाकर पहचान सुनिश्चित करें। ऐसा व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड/संख्या उपलब्ध नहीं है तथा उसने अभी आधार पंजीयन कराया है, लेकिन आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है, दस्तावेज पंजीयन के समय उसकी पहचान सुनिश्चित करने हेतु 17 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज के साथ आधार पंजीयन रसीद प्राप्त की जावें।

(डॉ. राजेश शर्मा)
महानिरीक्षक

क्रमांकः एफ–7(71)जन/2015/ 8623 - 9223 दिनांक : 28/8/17

प्रतिलिपि :—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
9. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय अजमेर।
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
14. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जाँच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)